

संवदि महिला व एकल पुरुष कर्मचारियों को मलिंगा बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश

चर्चा में क्यों?

- 24 सतिंबर, 2023 को उत्तराखंड सरकार ने वभिगों और आउटसोर्स माध्यम से संवदि, तदर्थ और नयित वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अवविहति, वधिर या तलाकशुवा) कर्मचारियों को 15 दनि की बाल्य देखभाल और 120 दनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सौगात दी । वतित सचवि दलीप जावलकर ने इस संबंघ में आदेश जारी कयि ।

परमुख बदि

- साथ ही, ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दनि का पतृत्व अवकाश मलिंगा, जनिके दो से कम जीवति बच्चे हैं ।
- वतित वभिग के सूत्रों के मुताबके, सरकार के इस नरिणय से 40-45 हज़ार कर्मचारियों को फायदा होगा । अस्थायी कर्मचारियों को पहली बार ये अवकाश दयि गए हैं ।
- वदिति है क शिज्य सरकार की नयिमति महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को यह छुट्टियाँ पहले से मलि रही हैं ।
- पतृत्व अवकाश ऐसे एकल पुरुष कर्मचारी, जसिके दो से कम जीवति बच्चे हों, उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावति तथि से 15 दनि पूर्व या बच्चा पैदा होने के छह माह तक 15 दनि का पतृत्व अवकाश मलिंगा ।
- यह कसिी अनय अवकाश के साथ लयि जा सकेगा । सामान्यतः इस अवकाश को कसिी भी दशा में अस्वीकृत नहीं कयि जा सकेगा ।
- बाल्य देखभाल अवकाश ऐसी महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को वशिषिट परसिथितियों, जैसे- संतान की बीमारी अथवा परीक्षा के समय 18 वर्ष की आयु तक देखभाल के लयि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकितम 15 दनि का अवकाश मलिंगा ।
- एक बार में पाँच दनों से कम का अवकाश मंजूर नहीं होगा । एक कैलेंडर वर्ष में अधिकितम तीन बार अवकाश मलिंगा ।
- बाल दत्तक देखभाल अवकाश ऐसी महिला और एकल पुरुष कर्मचारी, जो कम-से-कम तीन वर्ष से वभिग में तैनात हों और जनिहोंने एक वर्ष की आयु तक का शशिु गोद लयि हो, को मलिंगा । गोद लेने के समय अधिकितम 120 दनि का अवकाश मलिंगा ।